खुशखबरी : बेरोजगारों के लिए इस माह के अंत तक लागू होगी नई व्यवस्था

निश्शुल्क पंजीयन का तोहफा

जागरण संवाददाता, लखनऊ : यदि आप बेरोजगार हैं और नौकरी के लिए अपना पंजीयन या फिर पंजीयन का नवीनीकरण कराने की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा इंतजार करिए। अब आपको ई-सुविधा केंद्रों पर न तो लाइन लगाई पड़ेगी न ही पंजीयन के एवज में अतिरिक्त पैसे ही देने पड़ेंगे। प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग अब अपने नए वेबपोर्टल के माध्यम से निश्शुल्क पंजीयन की सुविधा देने की तैयारी कर रहा है। यह सुविधा इस महीने के अंत तक लागू हो जाएगी। इस सुविधा से प्रदेश के लाखों बेरोजगारों को फायदा होगा।

सेवायोजन कार्यालयों में पंजीयन की सुविधा बंद करके ई-सुविधा केंद्रों के माध्यम से पंजीयन कराए जाने का प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया था। लोकवाणी और ई-सुविधा केंद्रों के माध्यम से पंजीयन कराने के एवज में बेरोजगारों को 20 रुपये अतिरिक्त देने पड़ते हैं। घंटों कतारों में खड़े होने के बाद उनका नंबर आता था। पिछले महीने सेवायोजन विभाग ने अपना नया वेबपोर्टल शुरू किया है। इसके माध्यम से सरकारी व गैर सरकारी नौकरियों की जानकारी एक ही स्थान पर बेरोजगारों को मिल जाएगी। इस सुविधा के शुरू होने के साथ ही सीधे ऑनलाइन पंजीयन की व्यवस्था भी विभाग के वेबपोर्टल पर की जा रही है। इस सुविधा से बेरोजगारों को ई-सुविधा केंद्र जाने के बजाय अपने ही कंप्यूटर से पंजीयन कर सकेंगे। हालांकि अभी वेबपोर्टल का ट्रायल पूरा हो गया है।

◆ ई-सुविधा केंद्रों पर पंजीयन के एवज में पड़ता है पैसा

72 लाख को होगा फायदा

राजधानी समेत प्रदेश के सभी 92 सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत 72 लाख से अधिक बेरोजगारों को पंजीयन या नवीनीकरण के नाम पर अतिरिक्त पैसे नहीं देने होंगे। इसके साथ ही सन्नाटे में रहने वाले सेवायोजन कार्यालय में भी एक बार फिर रौनक लौट आएगी।

> वेबपोर्टल में सरकारी व गैर सरकारी नौकरियों की जानकारी बेरोजगारों को अपने ही कंप्यूटर से आसानी से मिल जाएगी। पंजीयन की सुविधा शुरू करने के लिए प्रस्ताव बनाया गया है। इस महीने के अंत तक शासनादेश जारी होते ही पंजीयन की निश्शुल्क सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी।
>
> **पीके पुंडीर**
> **सहायक निदेशक, सेवायोजन**

ऐसे कराएं पंजीयन

सेवायोजन विभाग के वेबपोर्टल (डब्लूडब्लूडब्लू.सेवायोजन. ओआरजी) पर जाकर बेरोजगार सरकारी व गैर सरकारी नौकरियों की जानकारी लेने के साथ ही अपना पंजीयन करा सकते हैं। ऑन लाइन पंजीयन के साथ ही पंजीयन का प्रमाण पत्र संबंधित सेवायोजन कार्यालय से प्राप्त करना होगा।